रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 219] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 1970/ज्येष्ठ 22, 1892
No. 219] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 1970/JYAISTHA 22, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[Border Security (II) Section (G. & Q.]

NOTIFICATIONS

[Border Security (II) Section (G. & Q)]

S.O. 2143.—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in ASSAM for period of six months with effect from 11th June 1970 to 10th December, 1970 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G & Q).]

गृह मंत्रालय

[सीमा सुरक्षा (II) विभाग]

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 12 जून, 1970

सा० नि० 2143—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 11 जून, 1970 से 10 दिसम्बर, 1970 तक छह मास के लिए आसाम में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69—बी० एस०—II (जी एंड क्यू)]

S.O. 2144.—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in TRIPURA for a period of six months with effect from 15th June 1970 to 14th December 1970, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G & Q).]

सा० नि० 2144.—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड के उपबन्धो के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) मे उल्लिखित ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 15 जून, 1970 से 14 दिसम्बर, 1970 तक छह मास के लिए त्रिपुरा में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69—बी० एस०—II (जी एंड क्यू)]

S.O. 2145.—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in GUJARAT for period of six months with effect from 20th June 1970 to 19th December 1970, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G & Q).]

सा० नि० 2145.—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धो के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 20 जून 1970 से 19 दिसम्बर 1970 तक छह मास के लिए गुजरात में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69—बी० एस०—II (जी एंड क्यू]

S.O. 2146.—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in CHANDIGARH for period of six months with effect from 15th June 1970 to 14th December 1970, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G & Q).]

सा० नि० 2146.—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लखित ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 15 जून, 1970 से 14 दिसम्बर, 1970 तक छह मास के लिए चंडीगढ़ में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी एण्ड क्यू)]

S.O. 2147.—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1948 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty of every person referred to in the said clause (a) serving in JAMMU & KASHMIR, for period of six months with effect from 26th June 1970 to 25th December 1970, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G & Q).]

सा०नि० 2147.—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 26 जून, 1970 से 25 दिसम्बर, 1970 तक छह मास के लिए जम्मू तथा काश्मीर में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०—II (जी एण्ड क्यू)]

S.O. 2148.—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in PUNJAB for period of six months with effect from 19th June 1970 to 18th December 1970, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G & Q).]

B. VENKATARAMAN, Jt. Secy.

सा० नि० 2148.—सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 19 जून, 1970 से 18 दिसम्बर 1970 तक छह मास के लिए पंजाब में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी एण्ड क्यू)]

बी० वेंकटारमन, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970